भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2944
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

†2944. सुश्री सयानी घोषः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों से संबंधित साइबर अपराध की वर्षवार कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर ब्लैकमेलिंग, पहचान की चोरी (आईडेंटिटी थेफ्ट), गैर-सहमति वाली अंतरंग सामग्री (एनसीआईसी), डीपफेक दुरुपयोग और अन्य अपराधों सहित इन शिकायतों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) हल किए गए और लंबित मामलों की संख्या कितनी है और महिलाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान में राज्यवार कितना औसत समय लगा; और

(घ) क्या सरकार सख्त प्रवर्तन, जागरूकता अभियान और एआई-आधारित निगरानी सहित महिलाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से महिलाओं के प्रति साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2944 दिनांक 18.03.2025

केंद्र सरकार ने महिलाओं के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ii. 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत तमिलनाडु में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है।

iii. जांच और अभियोजन पर बेहतर ढंग से कार्रवाई करने के लिए एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

iv. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

v. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में एनसीआरपी पर सूचित किए गए महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित साइबर अपराधों की कुल संख्या इस प्रकार है:

लोक सभा अता. प्र.सं. 2944 दिनांक 18.03.2025

श्रेणी	उप-श्रेणी	2020	2021	2022	2023	2024
सीएसएएम / सीएसईएम / आरजीआर (गुमनाम + रिपोर्ट तथा ट्रैक)	बाल अश्लीलता (सीपी)-बाल यौन उत्पीडन सामग्री (सीएसएएम)	2019	2109	3062	2957	6079
	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (आरजीआर)-यौन उत्पीडन सामग्री	2184	27945	30574	12129	4273
	यौन अश्लील सामग्री	9606	12251	16341	14322	21990
	यौन उन्मुख कृत्य	8379	9743	12247	10658	16133
कुल		**22188**	**52048**	**62224**	**40066**	**48475**

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीआरपी पर 'ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित अपराध' एक अन्य श्रेणी के तहत साइबर स्टाकिंग, पहचान की चोरी आदि जैसी श्रेणियों में सूचित की गई घटनाएं निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	उप-श्रेणी	2020	2021	2022	2023	2024
ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित अपराध	ई-मेल फिशिंग	897	798	1364	1272	2009
	छद्म रूप द्वारा धोखा देना	9808	12617	20041	18135	19989
	नकली/ छद्म प्रोफ़ाइल	12310	15843	23626	30234	39846
	प्रोफाइल हैकिंग/पहचान की चोरी	10419	10650	26288	33724	38295
	गैरकानूनी कृत्यों के लिए उत्तेजक भाषण	5237	2320	4092	3597	5250
	ईमेल का छद्म	225	208	285	304	586
	डराने वाला ईमेल	245	149	227	228	571
	ऑनलाइन नौकरी संबंधी धोखाधड़ी	4973	7504	10292	13764	10461
	ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी	528	623	1149	926	854
	साइबर बदमाशी / स्टॉकिंग / सेक्सटिंग	11641	21589	44270	39080	39077
कुल		**56283**	**72301**	**131634**	**141264**	**156938**

vi. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने उपयुक्त सरकार होने के नाते दिनांक 13.03.2024 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत कार्य करने और मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़ी सूचना, डेटा या संचार लिंक को गैरकानूनी कार्य करने हेतु इस्तेमाल करने की घटनाओं के बारे में सूचित करने हेतु गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में नामित किया है।

vii. 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य)' का उद्घाटन दिनांक 14.05.2022 को हैदराबाद में किया गया। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों में आवश्यक फोरेंसिक सहायता मिली है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्यों को संरक्षित और इनका विश्लेषण किया जाता है; और इससे टर्नअराउंड समय में 50% तक की कमी आई है।

viii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ix. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,02,321 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 79,909 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

x. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

xii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी, 17,185 लिंकेज और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xiii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

xiv. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कॉलर ट्यून, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

******